भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *128

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन

*128. श्री बैजयंत पांडा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को कोई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) अब तक कुल कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन" के संबंध में श्री बैजयंत पांडा द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *128 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) 1. सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं:

(i) नवोन्मेषी वाहन संवर्धन में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रीवोल्यूशन (पीएम ई-ड्राइव) योजना: देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में 01.04.2024 से 31.03.2026 तक दो वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 06 महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना (ईएमपीएस) 2024 को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ई-2पहिया, ई-3पहिया, ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। यह योजना चार्जिंग अवसंरचना के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन में भी सहायता करती है।

(ii) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु पीएलआई-ऑटो योजना को मंजूरी दी।

(iii) उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से देश में एसीसी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई-एसीसी को अनुमोदित किया है। इस योजना में 50 गीगावाट की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(iv) हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण करना (फेम) योजना चरण- II (फेम-II): फेम-II को 11,500 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। फेम-II के तहत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेंबलियों/उप-असेंबली और कल पुर्जों/उप-पुर्जों का घरेलू विनिर्माण करना था, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि हो।

(v) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित इस योजना का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों के परिनियोजन में सहायता करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (एसपीएमईपीसीआई): भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च, 2024 को इस योजना को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में 25% का न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए हासिल करना होगा।

2. सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 17 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना-2024 की संस्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बैटरी स्वैपिंग/चार्जिंग स्टेशन सहित कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और नयाचार (प्रोटोकॉल) की रूपरेखा दी गई है।

3. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) का.आ.5333(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से जारी अधिसूचना में बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है।

(ii) सा.का.नि.525(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 के माध्यम से जारी अधिसूचना में बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नया पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

(iii) बैटरी चालित वाहनों के लिए बिना किसी परमिट शुल्क के अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने के लिए सा.का.नि.302(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है।

(iv) सा.का.नि. 167 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2019 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई कि वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए नियम और शर्तें लागू होंगी और उनके अनुपालन मानक ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस) 123 के अनुसार होंगे।

(v) सा.का.नि.749 (अ), दिनांक 7 अगस्त, 2018 के माध्यम से जारी अधिसूचना में परिवहन वाहनों के बैटरी चालित वाहनों के लिए पंजीकरण चिह्न हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में होना अधिसूचित किया गया है।

(vi) दिनांक 12 अगस्त, 2020 को बगैर बैटरी के दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी जारी की गई है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे 40-60 किमी के अनुमानित अंतराल पर मार्गस्थ सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) के विकास की परिकल्पना की है। इन डब्ल्यूएसए पर अनिवार्य सुविधा के रूप में ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीएस) का प्रावधान किया गया है। अब तक ईवी चार्जिंग सुविधाओं वाले 50 डब्ल्यूएसए

चालू हो चुके हैं। वर्तमान में, सरकार ने लगभग 700 मार्गस्थ सुविधाओं का कार्य सौंपने का लक्ष्य रखा है। नियोजित 700 डब्ल्यूएसए में से 458 सौंपे जा चुके हैं, जिनमें से 90 चालू हैं।

(घ) और (ड.) 1. फेम-II योजना के तहत मार्च, 2023 में तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को देश भर में अपनी खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) पर 7,432 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता स्वीकृत की गई थी। दिनांक 01.01.2025 तक, तेल विपणन कंपनियों ने फेम योजना के तहत अपनी खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) पर 4523 ईवीसीएस स्थापित किए हैं, जिनमें से 251 ईवीसीएस को सक्रिय किया जा चुका है।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने मार्च, 2024 में 980 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए अतिरिक्त 73.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में 400 चार्जिंग स्टेशन भी स्वीकृत किए गए हैं।

2. देश भर में 26,367 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। स्थापित सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**पीसीएस की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	4
2	आंध्र प्रदेश	614
3	अरुणाचल प्रदेश	44
4	असम	311
5	बिहार	393
6	चंडीगढ़	14
7	छत्तीसगढ	290
8	दिल्ली	1951
9	गोवा	155
10	गुजरात	1008
11	हरियाणा	808
12	हिमाचल प्रदेश	114
13	जम्मू और कश्मीर	157
14	झारखंड	277
15	कर्नाटक	5879
16	केरल	1288
17	लद्दाख	1
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	942

20	महाराष्ट्र	3842
21	मणिपुर	50
22	मेघालय	43
23	मिजोरम	13
24	नगालैंड	36
25	ओडिशा	550
26	पुदुचेरी	42
27	पंजाब	607
28	राजस्थान	1285
29	सिक्किम	11
30	तमिलनाडु	1495
31	तेलंगाना	976
32	त्रिपुरा	54
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	6
34	उत्तर प्रदेश	2113
35	उत्तराखंड	202
36	पश्चिम बंगाल	791
कुल		**26,367**

*****